

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जनवरी 2014—माघ 7, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. एफ. 10-6-2012-सत्रह-मेडि-2.—यतः, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.15 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, जनहित में, खाद्य तेल को, उक्त उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6-2012-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 6 फरवरी 2013 द्वारा, एक वर्ष की छूट प्रदान की गई थी. एक वर्ष की उक्त कालावधि 5 फरवरी 2014 को समाप्त हो रही है;

और, यतः, इस राज्य के गरीब लोग अभी भी दैनिक आधार पर प्राप्त मजदूरी में से खुला खाद्य तेल खरीद रहे हैं. सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से मजदूर वर्ग डिब्बा बंद तेल नहीं खरीद सकते हैं, इसलिये खुला तेल के विक्रय पर प्रतिबंध से उनका जीवन-यापन कठिन हो जायेगा;

अतएव, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.15 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जनहित में, उक्त उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों से, खाद्य तेल की छूट की कालावधि में, 6 फरवरी 2014 से एक वर्ष की वृद्धि करती है.

No. F. 10-6-2012-XVII-Medi-2.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2.3.15 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, the State Government, in the public interest exempted the edible oil from the provisions of clause (b) of sub-regulation (1) of the said regulation for a period of one year *vide* this department's notification No. F 10-6-2012-XVII-Medi-2, dated 6th February, 2013. The said period of one year is expiring on 5th February, 2014;

AND WHEREAS, poor people of this State still purchase loose edible oil out of the payment of wages on daily basis. Common man especially those who belong to labour class can not purchase packed oil, therefore, prohibition on sale of loose oil shall make their life troublesome;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2.3.15 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, the State Government, hereby, in the public interest, extends the period of exemption of the edible oil from the provisions of clause (b) of sub-regulation (1) of the said regulation for a period of one year from 6th February 2014.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.